दिनांकः 01/02/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपमिश्रित दवाईयों को विदेश (सऊदी अरब) ले जा रहे 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अपमिश्रित 192 न्यू फेन्साड्रिल कफ सीरप शीशी(100 ml), व 37440 प्रेगाब्लिन कैप्सूल (300 mg) (कुल अनुमानित कीमत- 12 लाख 51 हजार 355/- रूपये) व 01 वैगन-आर गाड़ी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मकबरा रजवाहा पुलिया पर चैकिंग कर रही थी, इसी दौरान झबरेडा की ओर से आ रही एक सफेद रंग की वैगन-आर गाडी आती दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी ली गयी तो उसमें **अभियुक्तगण 1. शाहजान पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम कुमराडी थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 2. सलमान पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम कुमराडी थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 3. खालिद पुत्र हनीफ निवासी अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर हाल पता रजाउल का मकान सांपला अड्डा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 4. गजाला पत्नि रजाउल निवासी बझेडी जनपद मुजफ्फरनगर हाल सांपला अड्डा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर** के कब्जे से गाडी में रखे 06 बैग जिनमें अपमिश्रित न्यू फेन्साड्रिल कफ सीरफ के 192 (100 ml) शीशी व प्रेगाब्लिन कैप्सूल (Singalcure-SR 300mg) संख्या 37440 बरामद हुए। बरामद समस्त दवाईयों की कुल कीमत 12,51,355/- रूपये का अंकन मौके पर आये औषधि निरीक्षक, सहारनपुर व औषधि निरीक्षक, मुजफ्फनगर द्वारा किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियुक्तो के **विरूद्ध मु0अ0सं0 45/24 धारा 420/274 भादवि व 18सी/27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि01940** पंजीकृत किया। बरामद गाडी को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया। अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि सभी दवाईयां में नशीला पदार्थ मिलाकर इनका इस्तेमाल होता है। इन्हे हम सऊदी लेकर जाते है तथा वहाँ पर कई गुने (करीब दस गुना) मंहगे दामो में बेचते है। इस काम में वैगनआर गाडी से दिल्ली एयरपोर्ट तक आने जाने में इस्तेमाल करते है। पूछने पर खालिद, शाहजान व गजाला ने अपने पासपोर्ट व टिकट दिखाते हुये बताया कि आज भी हम इन मिलावटी दवाईयो को सउदी अरब लेकर जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड लिया। पास्पोर्ट की प्रविष्टि के अनुसार अभियुक्त शाहजान कई बार व अभियुक्त खालिद 02 बाद व अभियुक्ता गजाला 03 बार इस काम के लिये सऊदी अरब जा चुकी है।

बरामदगी का विवरणः-

192 न्यू फेन्साड्रिल कफ सीरफ के (100 ml) शीशी (अपमिश्रित)

37440 प्रेगाब्लिन कैप्सूल (Singalcure-SR 300mg) (अपमिश्रित)

01 वैगनआर कार रजि0नं0- UP15U5252

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. औषधि निरीक्षक श्री लवकुश प्रसाद जनपद सहारनपुर
3. औषधि निरीक्षक श्री पवन कुमार शाक्य जनपद मुजफ्फरनगर
4. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री विपिन मलिक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0158 जितेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. है0का01103 रजनीश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. म0का0 299 रिशु थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 01.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 03.30 घण्टे में दुकान के गल्ले से चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 445 रुपये व 01 लोहे का डिब्बा बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.02.2024 को वादी श्री अकरम पुत्र राशिद निवासी ग्राम कुल्हेड़ी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान का दरवाजा अंदर को दबाकर गल्ले वाला लोहे का डब्बा चोरी कर लेना जिसमें वादी के करीब 300 या 450 रूपये होने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा लूट/चोरी की घटनाओ की रोकथाम व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.02.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **गौरव पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम ननिहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए 445 रुपये व एक लोहे का डिब्बा बरामद हुआ। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गौरव उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ अपनी नशे की जरुरतों को पूरा करने के लिए चोरी चकारी कर लेता हूँ। मैने ग्राम कुल्हैड़ी में गांव घुसने से पहले जो मुर्गे वाले की दुकान है उसका ताला तोड़कर चोरी लोहे का डिब्बा चोरी किया था जिसमें 445 रुपये थे। जिन्हे लेकर मैं गंगोह जा रहा था तभी पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम ननिहारी थाना बेहट जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 लोहे का डिब्बा
- 445/- रुपये नकद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री माजिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा छेड़खानी के मामले में 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 34/24 धारा 354ए भादवि व 7/8 पाक्सो अधि0 व 3(2)5क एससी एसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण **1. साबिर पुत्र इनाम निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2. समरयाब पुत्र सादा निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को गन्देवड तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बिना कागजात एक गाडी स्विफ्ट नं0- HR58-U-5835 हुई। जिसको धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. साबिर पुत्र इनाम निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. समरयाब पुत्र सादा निवासी ग्राम आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी

01 गाडी स्विफ्ट HR 58-U-5835

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0586 राजीव पंवार थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का01975 चमन सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 01-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-05, विशेष गैगस्टर अधिनियम जनपद सहारनपुर द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गई सजा

अवगत कराना है कि दिनांक 19.01.2019 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र शर्मा थाना सरसावा द्वारा अभियुक्तगण 1.इन्द्रजीत पुत्र हरदीप निवासी मुजफ्फरा थाना नागल जनपद अम्बाला (हरियाणा), व 2. रितिक उर्फ गोलू पुत्र सरजीत निवासी जडौत थाना लाइलू, पंजाब द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्याप्त कर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतू अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0सं0 21/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना सरसावा पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 98/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैगस्टर अधिनियम जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **"OPERATION CONVICTION"** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय एडीजे- 05 (विशेष गैगस्टर अधिनियम) जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 01.02.2024 को अभियुक्त 1. इन्द्रजीत पुत्र हरदीप को 21/2019 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कठोर कारावास व अभियुक्त को 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** रितिक उर्फ गोलू उपरोक्त जोकि बाल अपचारी है। उसकी फाईल किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराजसिह चैहान
विवेचक प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार सैनी
पैरोकार है0का0 104 सलमान थाना सरसावा जनपद सहारनपुर